महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित कानूनों का संक्षिप्त वर्णन

तालिका

क्रम संख्या	अधिनियम	मुख्य प्रावधान	धारायें	सजा	पीडिता के लिये सहायता के प्रावधान / विशिष्ट प्रावधान
1	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना	498–क	तीन वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय यदि अपराध किये जाने से सम्बंधित इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या रक्त, विवाह अथवा दत्तक ग्रहण द्वारा उससे सम्बंधित किसी व्यक्ति द्वारा या यदि ऐसा कोई नातेदार नही है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, दी गई है। अजमानतीय विचारण – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट	
2	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	354	एक वर्ष के लिये कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – कोई मजिस्टेट	
3	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	अवांछनीय शारिरिक संस्पर्श और अग्रक्रियायें अथवा लैंगिक सम्बंधो की स्वीकृति की कोई मांग या अनुरोध	354क	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनो संज्ञेय जमानतीय विचारण–कोई मजिस्ट्रेट	

		करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीडन लैंगिक आभासी टिप्पणीयां करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीडन		कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनो। संज्ञेय जमानतीय विचारण–कोई मजिस्ट्रेट	
4	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	354ख	कम से कम तीन वर्ष के लिये कारावास, किन्तु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण–कोई मजिस्ट्रेट	
5	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	दृश्यरतिकता	354ग	प्रथम दोषसिद्धि के लिये कम से कम एक वर्ष के लिये कारावास, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय जमानतीय विचारण– कोई मजिस्ट्रेट द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिये कम से कम तीन वर्ष के लिये कारावास किन्तु जो 7 वर्ष तक को हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमाननतीय विचारण – कोई मजिस्ट्रेट	
6	भारतीय	पीछा करना	354घ	प्रथम दोष सिद्धि के	

	दण्ड संहिता, 1860			लिये तीन वर्ष तक के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय जमानतीय विचारण– कोई मजिस्ट्रेट द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिये 5 वर्ष तक के लिये कारावास और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण– कोई मजिस्ट्रेट	
7	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	व्यपहरण	363	7 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय जमानतीय विचारण – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट	
8	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	अप्राप्तव्यय का इसलिये व्यपहरण या अप्राप्तव्यय की अभिरक्षा इसलिये अभिप्राप्त करना की ऐसा अप्राप्तव्य भीख मांगने के प्रयोजनो के लिये नियोजित या प्रयुक्त किया जाये। अप्राप्तव्य को इसलिये विकलांग करना की ऐसा अप्राप्तव्य भख मांगने के प्रयोजनो के लिये नियोजित या प्रयुक्त किया जाये।	363क	10 वर्ष के लिये कारावा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
9	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण	364	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिये कठीन कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन	

				न्यायालय	
10	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	फिरोती, आदि के लिये व्यपहरण	364क	मृत्यु या आजीवन कारवास, और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
11	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	किसी स्त्री को विवाह करने के लिये विवश करने या भ्रष्ट करने आदि के लिये उसे व्यपहृत या अपहृत करना	366	10 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
12	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	अपर्याप्तव्य लडकी का उपापन	366क	10 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
13	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	विदेश से लडकी का आयात करना	366ख	10 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
14	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्धेश्य से व्यपहरण या अपहरण	367	10 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
15	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	व्यपहृत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना।	368	व्यपहरण या अपहरण के लिये दण्ड संज्ञेय अजमानतीय विचारण – वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है।	
16	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	किसी शिशु के शरीर पर से सम्पत्ति लेने के आशय से उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण	369	7 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – प्रथम वर्ग	

				मजिस्ट्रेट	
17	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	बलात्संग	376	कम से कम सात वर्ष के लिये कठोकर कारावास, किन्तु जो आजीवान करावास तक का हो सकेगा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायायलय	
		किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेष्ण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के पबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है नयास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग।		कम से कम दस वर्ष के लिये कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण– सैशन न्यायालय	
18	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु	376क	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास,	

		कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है।		तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यूदंड संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
19	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्ककरण के दौरान मैथुन	376ख	कम से कम दो वर्ष के लिये कारावास, किननतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय (किन्तु केवल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर) जमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
20	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	376ग	कम से कम पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
21	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	सामूहिक बलात्संग	376घ	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा। संज्ञेय अजमानतीय	

				विचारण – सैशन न्यायालय	
22	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी	376ड़	आजीवन कारवास, जिससे उसे व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
23	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	दहेज मृत्यु	304–बी	कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
24	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	बलात्संग किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेष्ण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के पबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या	376	कम से कम सात वर्ष के लिये कठोकर कारावास, किन्तु जो आजीवान करावास तक का हो सकेगा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायायलय कम से कम दस वर्ष के लिये कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण– सैशन	

		किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है नयास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग।		न्यायालय	
		आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करना और ऐसे प्रयत्न में ऐसे अपराध के किए जाने की दशा में कोई कार्य करना।	511	आजीवन कारावास या उस दीर्घतम अवधि के आधे से अधिक न होने वाला कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया है जमानतीय है या नहीं। वह न्यायालय जिसके द्वारा कि प्रयतित अपराध विचारणीय है।	
25	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	आत्महत्या किये जाने का दुष्प्रेरण	306	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण सैशन न्यायलय	
26	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई	509	तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना संज्ञेय जमानतीय	

		अंगविक्षेप करना, आदि		विचारण – कोई मजिस्ट्रेट	
27	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	व्यक्ति का दुर्व्यापार	370	कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
		एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार।		कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
		किसी अवयस्क का दुर्व्यापार।		कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
		एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार		कम से कम चौदह वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माननना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
		व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर		आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के	

		अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना। लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवसरूक के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना।		शेष प्राकृत जीवन–काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन–काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
28	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	ऐसे किसी बाल का शोषण जिसका दुर्व्यापार किया गया है ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	370क	कम से कम पांच वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
29	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	प्रकृति विरूद्ध अपराध	377	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – प्रथम वर्ग	

				मजिस्ट्रेट	
30	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	326क	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़ित को किया जाएगा। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
31	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।	326ख	पांच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	
32	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	विदेश से लडकी का आयात करना	366–बी	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय विचारण – सैशन न्यायालय	

अन्य अधिनियम

क्रम संख्या	अधिनियम	मुख्य प्रावधान	धारायें	सजा	पीडिता के लिये सहायता के प्रावधान / विशिष्ट प्रावधान
1	लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	प्रवेशन लैगिंक हमला	धारा 3,4	जो कोई प्रवेशन लैगिंक हमला करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधी 7	अपराधो की रिपोर्ट करने की विशिष्ट प्रक्रिया, मामले को रिपोर्ट करने के लिये

				वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेंगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।	मिडीया, स्टुडियों ओर फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मिडीया के लिये विशिष्ट प्रक्रिया, बालक के कथनो को अभिलिखित करने के लिये विशिष्ट प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्ररेण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के बारे में उपधारणा, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, विशेष लोक अभियोजक, की नियुक्ति, बालक के साक्ष्य देते समय इस हेतु विशेष प्रावधान
2	लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	गुरूतर प्रवेशन लैगिंक हमला	धारा 5,6	जो कोई, गुरूतर प्रवेशन लैगिंक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधी	अपराधो की रिपोर्ट करने की विशिष्ट प्रक्रिया, मामले को रिपोर्ट

				10 वर्ष से कम की नही होगी, किन्तु जो आजीवन कारावस तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।	करने के लिये मिडीया, स्टुडियों ओर फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मिडीया के लिये विशिष्ट प्रक्रिया, बालक के कथनो को अभिलिखित करने के लियें विशिष्ट प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्ररेण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के बारे में उपधारणा, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, विशेष लोक अभियोजक, की नियुक्ति, बालक के साक्ष्य देते समय इस हेतु विशेष प्रावधान
3	लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	लैगिंक हमला	धारा 7,8	जो कोई, लैंगिक हमला करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से	अपराधो की रिपोर्ट करने की विशिष्ट प्रक्रिया, मामले को रिपोर्ट

				जिसकी अवधी 3 वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा।	करने के लिये मिडीया, स्टुडियों ओर फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मिडीया के लिये विशिष्ट प्रक्रिया, बालक के कथनो को अभिलिखित करने के लियें विशिष्ट प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्ररेण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के बारे में उपधारणा, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, विशेष लोक अभियोजक, की नियुक्ति, बालक के साक्ष्य देते समय इस हेतु विशेष प्रावधान
4	लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	गुरूतर लैगिंक हमला	धारा 9, 10	जो कोई, गुरूतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनो में से किसी भांति	अपराधो की रिपोर्ट करने की विशिष्ट प्रक्रिया,

				के कारावास से जिसकी अवधी 5 वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा।	मामले को रिपोर्ट करने के लिये मिडीया, स्टुडियों ओर फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मिडीया के लिये विशिष्ट प्रक्रिया, बालक के कथनो को अभिलिखित करने के लियें विशिष्ट प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्ररेण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के बारे में उपधारणा, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, विशेष लोक अभियोजक, की नियुक्ति, बालक के साक्ष्य देते समय इस हेतु विशेष प्रावधान
5	लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम,	लैगिंक उत्पीडन	धारा 11, 12	जो कोई, किसी बालक पर लैगिंक उत्पीडन करेगा,	अपराधो की रिपोर्ट करने की विशिष्ट प्रक्रिया,

	2012			वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधी 3 वर्ष तक की हो सकेंगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।	मामले को रिपोर्ट करने के लिये मिडीया, स्टुडियों ओर फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मिडीया के लिये विशिष्ट प्रक्रिया, बालक के कथनो को अभिलिखित करने के लियें विशिष्ट प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्ररेण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के बारे में उपधारणा, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, विशेष लोक अभियोजक, की नियुक्ति, बालक के साक्ष्य देते समय इस हेतु विशेष प्रावधान
6	लैगिंक अपराधो से बालकों का	अश्लील प्रयोजनो के लिये बालक	धारा 13, 14, 15	1. जो कोई, अश्लील प्रयोजनो	अपराधो की रिपोर्ट करने की

	संरक्षण अधिनियम, 2012	का उपयोग		के लिये किसी बालक या बालको का उपयोग करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधी 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा तथा दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधी 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डननीय होगा।	विशिष्ट प्रक्रिया, मामले को रिपोर्ट करने के लिये मिडीया, स्टुडियों ओर फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मिडीया के लिये विशिष्ट प्रक्रिया,
				2. यदि अश्लील प्रयोजनो के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारवास से जिसकी अवधी 10 वर्ष से कम नही होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की	बालक के कथनो को अभिलिखित करने के लियें विशिष्ट प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्ररेण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के बारे में उपधारणा,

				हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। 3. यदि अश्लील प्रयोजनो के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह कठोर आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। 4. यदि अश्लील प्रयोजनो के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारवास से जिसकी अवधी 6 वर्ष से कम नही होगी, किन्तु जो 8 वर्ष तक की तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा	आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, विशेष लोक अभियोजक, की नियुक्ति, बालक के साक्ष्य देते समय इस हेतु विशेष प्रावधान

				और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। 5. यदि अश्लील प्रयोजनो के लिये बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारवास से जिसकी अवधी 8 वर्ष से कम नही होगी, किन्तु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भण्डारकरण के लिये दण्ड, कोई व्यक्ति जो वाणिज्य प्रयोजनो के लिये बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भण्डारकरण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से, जो 3 वर्ष तक का हो	

				सकेगा, या जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जायेगा।	
7	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	स्त्री अशिष्ट रूपण अन्तर्विष्ट करने वाले विज्ञापनो का प्रतिशेष स्त्री अशिष्ट रूपण अन्तर्विष्ट करने वाली पुस्तको, पुस्तिकाओ, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिशेष	धारा 3, 4, 6	कोई व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धुओं का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोष सिद्धी पर दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो 2000/– रूपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधी 6 माह से कम की नही होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो 10 हजार रूपये से कम का नही होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। जमानतीय संज्ञेय	
8	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005	घरेलू हिंसा	धारा – 3 (मजिस्ट्रेट		सरंक्षण आदेश – धारा 18, धनीय राहत के लिये आदेश –

			को आवेदन अन्तर्गत धारा 12)		धारा 20 अभीरक्षा आदेश –धारा 21, निवास आदेश – धारा 19 प्रतिकर आदेश – धारा 22 सेवा प्रदाताओ की सेवाओं की उपलब्धता संरक्षण प्रदाताओ की सेवाओं की उपलब्धता विधीक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन निशुल्क विधिक सेवा का अधिकार
9	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	बाल विवाह करने वाले पुरूष वयस्क के लिये दण्ड	धारा 9	जो कोई, 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए, बाल विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1 लाख रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा। संज्ञेय अजमानतीय	बाल विवाह का विकल्प पर शुन्यकरण करवाने का प्रावधान, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिये उपबंध, बाल विवाह से जन्में बालको का भरण – पोषण ओर अभिरक्षा एवं उनकी धर्मजता। प्रस्तुत अधिनियम में बाल विवाहों को प्रतिसिद्ध करने वाला व्यादेश भी न्यायालय द्वारा

					जारी किया जा सकता है एवं ऐसे व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह के शुन्य होने का प्रावधान भी है।
10	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिये दण्ड	धारा 10	जो कोई किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित ना कर दे की उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नही था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधी 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ओर जुर्माने से भी, जो 1 लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। संज्ञेय अजमानतीय	
11	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	बाल विवाह के अनुष्ठान का सवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिये दण्ड	धारा 11	1 जहां कोई बालक बाल –विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में	

				अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध या विधिविरूद्ध हैसियत में, बालत है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल–विवाह में उपस्थित होना या भाग लेनना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः परन्तु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। 2 इस धारा के	

				प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकुल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारण की जाएगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षा पूर्वक असफल रहा है। संज्ञेय अजमानतीय	
12	राजस्थान डायन – प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015	डायन प्रताडना के लिये दण्ड	धारा 4	1 जो कोई भी, उप–धारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, डयन–प्रताडना कारित करता है, वह ऐसी अवधिक कठोर कारावास से जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा। 2 जो कोई भी, किसी स्त्री को डायन के रूप में चिन्हित करते हुए	जहां इस धार के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय, उपचार की ओर पिडीत व्यक्ति की सम्पत्ति को भी कारित हानि की किसी लागत, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए पीडित व्यक्ति को कारित शारिरिक और मानसिक हानि पर विचार करेगा, एवं जब कोई न्यायालय

				उसे कोई भी अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है या उसको नग्न अथवा कम वस्त्रों में या पुते हुए चेहरे या शरीर के साथ प्रदर्शित या पस्तुत करता है या इसी प्रकार का कोई ऐसा कोर्य करता है जो मानव गरीमा के प्रति अनादरपूर्ण है या उसे उसके घर अथवा अन्य सम्पत्ति से बेकब्जा करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।	जुर्माने का दण्ड अधिकरोपित करता है, तब वह न्यायालय, निर्णय देते समय वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीडित को संदत्त किये जाने का आदेश देगा।
13	राजस्थान डायन – प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015	डायन वृति के लिये दण्ड	धारा 5	जो कोई भी डायन वृति या अन्य समान वृतियों का प्रयोग किसी व्यक्ति को हानि अथवा क्षति पहुचाने के आशय से करता है तो	जहां इस धार के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय,

				वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा।	उपचार की ओर पिडीत व्यक्ति की सम्पत्ति को भी कारित हानि की किसी लागत, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए पीडित व्यक्ति को कारित शारिरिक और मानसिक हानि पर विचार करेगा, एवं जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिकरोपित करता है, तब वह न्यायालय, निर्णय देते समय वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीडित को संदत्त किये जाने का आदेश देगा।
14	राजस्थान डायन – प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015	डायन – चिकित्सक के लिये दण्ड	धारा 6	1 जो कोई भीयह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियंत्रित करने या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो	जहां इस धार के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय, उपचार की ओर पिडीत व्यक्ति की सम्पत्ति को भी कारित हानि की किसी लागत, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते

				सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा। 2 जो कोई भीकिसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से अनुष्ठान करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसी जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनो से, दण्डनीय होगाः या 3 जो कोई भीकिसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से किसी डायन – चिकित्सक से अनुष्ठान करवाता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात	हुए पीडित व्यक्ति को कारित शारिरिक और मानसिक हानि पर विचार करेगा, एवं जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिकरोपित करता है, तब वह न्यायालय, निर्णय देते समय वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीडित को संदत्त किये जाने का आदेश देगा।

				वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा।	
15	राजस्थान डायन – प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015	डायन – प्रताडना से पीडित स्त्री की अप्राकृतिकमृत्यु के लिए दण्ड	धारा 7	जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यू से पूर्व उसके साथ डायन–प्रताडना के कारित किये जाने में सम्मिलित हो, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।	जहां इस धारा के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय, उपचार की ओर पिडीत व्यक्ति की सम्पत्ति को भी कारित हानि की किसी लागत, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए पीडित व्यक्ति को कारित शारिरिक और मानसिक हानि पर विचार करेगा, एवं जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिकरोपित करता है, तब वह न्यायालय, निर्णय देते समय वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीडित को संदत्त किये जाने का आदेश देगा।

16	महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	अधिनियम में लैगिंक उत्पीडन के निवारण हेतु आंतरिक परिवाद समिति का गठन (धारा 4) एवं स्थानीय परिवाद समिति का गठन (धारा 6) में अनुकल्पित किया गया है। व्यथित महिला कार्य़ स्थल पर लैगिंक उत्पीडन का परिवाद, घटना की तारीख से 3 मास की अवधी के भीतर लिखित में, आंतरिक समिति को एवं यदि इस प्रकार की समति घटित नही की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। उक्त परिवाद की जांच से पूर्व सुलह के माध्यम से मामले को निपटाने का उपाय परिकल्पित है जिसमें धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नही किया जा सकेगा। जहां सुलह संभव नहीं है, वहां परिवाद की जांच की जाकर, जांच रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जहां समिति इस निष्कर्ष पर	धारा 4, धारा 6, धारा 13, धारा 15		व्यथित महिला हेतु प्रतिकर की परिकल्पना, परिवाद की अर्न्तवस्तुओं औरजांच कार्यवाहीयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध एवं अधिनियम के उपबंधो के अननुपालन के लिये शास्ति के प्रावधान है।

		पहूंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से प्रत्यर्थी पर लागू सेवा नियमों (एवं जहां ऐसे नियम नही है, वहां विहित रीति) से लैंगिक उत्पीडन के लिये कार्यवाही करने एवं प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला या उसके विधिक वारिसो को एक समुचित राशि दिलवाने की सिफारीश करेगी।			
17	सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987	सती कर्म करने का प्रयत्न	धारा 3	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा और सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दंडनीय होगाः परन्तु इस धारा के अधीन किसी अपराध का	

				विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने से पूर्व, अपराध किये जाने की परिस्थितियों, किये गये कार्य, अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करने के समय मानसिक दशा और अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा।	
18	सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987	सती कर्म करने का दुष्प्ररेण	धारा 4	(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई स्त्री सती कर्म करती है, तो जो कोई सती कर्म करने का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरण करेगा वह मत्यू से, या आजीवन कारावास से, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) यदि कोई स्त्री सती कर्म करने का प्रयत्न करती है, तो जो कोई ऐसे प्रयत्न का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरण करेगा वह आजीवन	

				कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।	
19	सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987	सती कर्म के गौरवान्वयन के लिये दंड	धारा 5	जे कोई सती कर्म के गौरवान्वयन के लिये कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किंतु जो तीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	